भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, डॉ0 राजेंद्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-११०००१

फा.सं.प्रशा.11-4/2022-आर एंड पी **दिनांक: 5 दिसम्बर, 2022**

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सीधी भर्ती कोटा के तहत सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद के लिए परीक्षा नियम/पाठ्यक्रम के बारे में।

सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद हेतु संशोधित परीक्षा नियम/पाठ्यक्रम सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से तत्काल प्रभाव से सभी संबंधितों की सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अधिसूचित किया जाता है।

अनुलग्नक: उपरोक्त के अनुसार

नरेन्द्र सवांग

(एन.के. सवांग)
अवर सचिव (भर्ती एवं नीति)

वितरण:

1. निदेशक, एएसआरबी, कृषि अनुसंधान भवन-I, नई दिल्ली-110012
2. सभी आईसीएआर संस्थानों/एनआरसी/ब्यूरो/अटारी के निदेशक।
3. परिषद मुख्यालय/एएसआरबी के संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव/उप निदेशक/अवर सचिव।
4. महानिदेशक, भा.कृ.अनु.प. के प्रधान स्टाफ अधिकारी/सचिव, भा.कृ.अनु.प. के प्रधान निजी सचिव/ वित्त सलाहाकार, डेयर/भा.कृ.अनु.प. के प्रधान निजी सचिव/अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल के प्रधान निजी सचिव/ सचिव, कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल के निजी सचिव।
5. सभी विषय वस्तु प्रभाग (एसएमडी), भाकृअनुप।
6. भाकृअनुप के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी।
7. सचिव (एसएस), सीजेएससी।
8. सचिव (एसएस), एचजेएससी।
9. मीडिया इकाई, भाकृअनुप को इस कार्यालय आदेश को भाकृअनुप की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

नोट: कृपया इस कार्यालय आदेश की प्रतियां आवश्यकतानुसार डाउनलोड करें, क्योंकि इसे अलग से वितरित नहीं किया जा रहा है। हिन्दी माध्यम में जारी इस कार्यालय आदेश में कोई विसंगति होती है तो अँग्रेजी माध्यम में जारी कार्यालय ज्ञापन मान्य होगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

कृषि भवन, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली -110001

सीधी भर्ती कोटा के तहत सहायक निदेशक (राजभाषा) पद के लिए परीक्षा भर्ती नियमावली/ पाठ्यक्रम

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भाकृअप) में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 (वेतन बैंड-3 (पीबी-3) (रु.15600-39100) + ग्रेड वेतन रु. 5400) में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पदों को कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल (एएसआरबी) द्वारा सीधी भर्ती के तहत भरने हेतू परीक्षा नियमावली/पाठ्यक्रम सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

2. परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या एएसआरबी द्वारा जारी विज्ञापन सूचना में विनिर्दिष्ट है। भाकृअप द्वारा निर्धारित रिक्तियों के संबंध में अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) / बेंचमार्क विकलांग (पीडब्ल्यूबीडी) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण इस विषय पर भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार दिया जाएगा।

टिप्पणी-I उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) में से किसी एक से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें मांगे जाने पर अपेक्षित प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-III के अनुसार) जमा करना होगा। मांगे जाने पर आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विफल रहने पर उनकी उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी।

टिप्पणी-II उम्मीदवार जिन पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित रिक्तियों के तहत विचार किया जाना है, उन्हें मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-IV के अनुसार) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। मांगे जाने पर आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विफल रहने पर उनकी उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी।

टिप्पणी-III बेंचमार्क विकलांग (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों को मांग किए जाने पर सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-V) में चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। मांग किए जाने पर आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विफल रहने पर उनकी उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी।

टिप्पणी-IV उम्मीदवार जिन पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित रिक्तियों के तहत विचार किया जाना है, उन्हें मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्य रूप से अपेक्षित प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-VI के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा। मांगे जाने पर आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विफल रहने पर उनकी उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी।

3. कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल (एएसआरबी) द्वारा इन नियमों के परिशिष्ट- I में निर्धारित तरीके से परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा आयोजित करने की तिथि और स्थान की घोषणा विज्ञापन सूचना/परीक्षा सूचना में की जाएगी।

4. उम्मीदवार को आवश्यक रूप में :

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) नेपाल का नागरिक, या

(ग) भूटान का नागरिक, या

(घ) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से भारत आया था, या

(च) वह मूल रूप से भारत का नागरिक हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से पलायन कर आया हो।

बशर्ते कि वह उपरोक्त श्रेणी (ख), (ग) (घ) और (च) से संबंधित उम्मीदवार व्यक्ति हो जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

5. इस परीक्षा के लिए निर्धारित आयु सीमा निम्नानुसार होगी:

(क) उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में भारत सरकार के संगत अनुदेशों अनुसार एससी/एसटी/ओबीसी/ बेंचमार्क विकलांग (पीडब्ल्यूबीडी) आदि के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

(ख) केंद्र सरकार द्वारा विभागीय उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट के संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार भाकृअप के कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ग) उपर्युक्त निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट निम्नानुसार दी जाएगी:

(i) यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित है तो उसे अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ii) ओबीसी से संबंधित उम्मीदवार के संबंध में अधिकतम छूट तीन वर्ष तक की होगी।

(iii) शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों अनारक्षित (यूआर) के लिए, ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट होगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जो पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अंतर्गत भी आते हैं, दोनों श्रेणियों के तहत संचयी (क्युमुलैटिव) आयु सीमा छूट के लिए पात्र होंगे।

(iv) अन्य वास्तविक रूप से विस्थापित व्यक्तियों/ भारतीय मूल के प्रत्यावर्तित/ रक्षा सेवा कर्मियों/ सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों आदि को इस विषय पर भारत सरकार के मौजूदा निर्देशों के अनुसार छूट दी जाएगी।

नोट: भारत में आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई अंतिम तिथि)।

जैसा ऊपर कहा गया है के अतिरिक्त, निर्धारित आयु सीमा में छूट नहीं दी जा सकती है।

6. सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद के लिए शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं निम्नानुसार हैं:

आवश्यक:

I. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या हिंदी में इसके समकक्ष जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहा हो;

अथवा

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या अंग्रेजी में इसके समकक्ष जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप में रहा हो;

अथवा

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या किसी भी विषय में इसके समकक्ष जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी के विषय रहे हों;

अथवा

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या किसी भी विषय में इसके समकक्ष जिसमें हिंदी माध्यम रहा हो और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहा हो;

अथवा

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या किसी भी विषय में इसके समकक्ष जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम और हिंदी एक विषय रहा हो।

अनुभव:

II. हिंदी में शब्दावली (शब्दावली कार्य) का उपयोग करने या लागू करने और केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत निकाय/राज्य संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान के अंतर्गत मुख्यत: तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य को अंग्रेजी से हिन्दी और विलोमत: अनुवाद करने का तीन वर्ष का अनुभव।

या

केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/राज्य संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त शोधकारी शैक्षणिक संस्थान में हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षण का तीन वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:

(i) मैट्रिक या मान्यता प्राप्त बोर्ड से इसके समकक्ष स्तर पर संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिंदी के अलावा किसी एक भाषा का ज्ञान।

(ii) किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से हिंदी से अंग्रेजी और इसके विलोमत: अनुवाद में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स अथवा भारत सरकार के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों सहित कैंद्र या राज्य सरकार के कार्यालयों में हिंदी से अंग्रेजी और इसके विलोमत: अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।

III. अनुभव के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण तिथि परीक्षा की अधिसूचना की तिथि होगी।

7. भा.कृ.अनु.प./सरकारी सेवा में स्थायी या अस्थायी रूप में या कार्य-प्रभारित (वर्क-चार्जड) कर्मचारियों के रूप में, आकस्मिक या दैनिक दर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के अलावा, सभी उम्मीदवारों को एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने अपने कार्यालय विभाग के प्रमुख को लिखित रूप में सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

8. परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अन्य के संबंध में एएसआरबी का निर्णय अंतिम होगा।

9. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास एएसआरबी द्वारा जारी वैध प्रवेश पत्र न हो।

10. नियमों से छूट प्राप्त उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों को एएसआरबी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

11. एएसआरबी द्वारा ऐसा उम्मीदवार दोषी है या घोषित किया जाता है जो:

(क) उम्मीदवारी के लिए किसी भी तरह से समर्थन प्राप्त करता है, या
(ख) प्रतिरूपण का कार्य करता है या
(ग) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण प्राप्त करता है, या
(घ) नकली दस्तावेज़ या ऐसे दस्तावेज़ जमा करता है जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है, या
(ङ) ऐसा बयान देता है जो गलत या झूठ है, या महत्वपूर्ण ठोस जानकारी को छिपाता है, या
(च) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेता है, या
(छ) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, या

(ज) उत्तर-पुस्तिका (स्क्रिप्ट) में अश्लील भाषा या अश्लील सामग्री सहित अप्रासंगिक सामग्री लिखता है, या
(झ) परीक्षा हॉल में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार करता है, या
(ञ) परीक्षा के संचालन के लिए एएसआरबी द्वारा नियोजित कर्मचारियों को परेशान करता है या उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, या

(ट) पूर्वगामी खंडों में विनिर्दिष्ट सभी या किसी भी अन्य कृत्यों को करने या करवाने के लिए उकसाने को एएसआरबी उस उम्मीद्वार को अपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, वह निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी है, या

- एएसआरबी द्वारा उसे परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जाना जिसके लिए वह एक उम्मीदवार है, या
- उसे स्थायी रूप से या एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किए जाने के लिए:
  (i) एएसआरबी/परिषद द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा या चयन से;
  (ii) एएसआरबी/परिषद द्वारा उनके अधीन दिए जाने वाले किसी भी रोजगार से;
- यदि वह आईसीएआर का कर्मचारी है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

12. लिखित परीक्षा के बाद, एएसआरबी द्वारा अपने विवेक पर निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने वाले, उम्मीदवार को व्यक्तित्व परीक्षण के उद्देश्य से साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

बशर्ते कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को एएसआरबी द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण के लिए छूट मानकों को लागू करके बुलाया गया हो, यदि बोर्ड की राय है कि इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानकों के आधार पर इस परीक्षा के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

13. साक्षात्कार के बाद, पात्र और योग्य उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार में प्रत्येक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर वरियता के क्रम में एएसआरबी द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा। उस क्रम में एएसआरबी द्वारा परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए जितने उम्मीदवार पाए जाते हैं, उन्हें उम्मीदवारों के अंतिम परिणामों के आधार पर भरे जाने के लिए तय की गई अनारक्षित रिक्तियों की संख्या तक नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया जाएगा, बशर्ते वे निर्धारित आयु सीमा के भीतर हो।

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित ऐसे उम्मीदवारों को पद पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक को एएसआरबी द्वारा अनुशंसित सामान्य मानक के आधार पर न भरा गया हो, पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता के अधीन, आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए छूट मानकों के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, चाहे परीक्षा में योग्यता के क्रम में उनका रैंक कुछ भी हो ।

अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार, जो परीक्षा में योग्य पाए जाते हैं, ओबीसी के लिए मेरिट सूची में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की सीमा तक नीचे जाकर, एएसआरबी द्वारा नियुक्ति के लिए उनकी सिफारिश की जा सकती है, बशर्ते वे एएसआरबी द्वारा निर्धारित बुनियादी न्यूनतम मानक को पूरा करते हों।

'बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति' श्रेणी के उम्मीदवार जो परीक्षा में योग्य पाए जाते हैं,

उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की सीमा तक 'बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों' श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए मेरिट सूची में नीचे जाकर उन्हें एएसआरबी द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया जा सकती है, बशर्ते वे एएसआरबी द्वारा निर्धारित बुनियादी न्यूनतम मानकों को पूरा करते हो।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार जो परीक्षा में योग्य पाए जाते हैं, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए मेरिट सूची में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की सीमा तक नीचे जाकर उन्हें एएसआरबी द्वारा नियुक्ति के लिए सिफारिश की जा सकती है, बशर्ते वे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए और इस तरह के पात्रता प्रमाणीकरण रखने वाले हों और एएसआरबी द्वारा निर्धारित बुनियादी न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों।

14. उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम की व्यक्तिगत रूप से सूचना का स्वरूप और तरीका एएसआरबी द्वारा अपने विवेक से तय किया जाएगा और एएसआरबी परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा।

15. कोई व्यक्ति:

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या अनुबंध किया है, वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि परिषद, संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्तियों और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत इस तरह के विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दी जा सकती है।

16. समान अंक वाले (टाई) मामलों का समाधान:-

मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों के समान अंक होने की स्थिति में वरीयता सूची का निर्धारण निम्नलिखित मानदंडों को एक के बाद दूसरे को नीचे दिए गए क्रम में तब तक अपनाया जाए जब तक कि समान अंक (टाई) की स्थिति का हल नहीं हो जाता।

(क) जन्म तिथि, जेष्ठ उम्मीदवार को सर्वप्रथम रखा जाए।

(ख) मुख्य परीक्षा के प्रश्न-पत्र-I के कुल अंक।

(ग) परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों ने नाम के वर्णानुक्रम को ध्यान में रखकर।

17. नियमावली के प्रावधानों को शिथिल करने की शक्ति:-

यदि परिषद के अध्यक्ष की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह लिखित आदेश द्वारा इन नियमों के किसी भी प्रावधान को व्यक्तियों के ग्रेड या श्रेणी के संबंध में छूट दे सकेगा।

18. उम्मीद्वार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है और वह किसी अन्य शारीरिक दोष (शारीरिक रूप से अक्षमता वाले उम्मीद्वारों के लिए निर्धारित मानदंडों को छोड़कर) से मुक्त होना चाहिए जिससे एक अधिकारी के रूप में उसे अपने कर्तव्यों का कुशल निर्वहन करने में कोई कठिनाई होने की संभावना न हो यदि ऐसा कोई उम्मीद्वार जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई है ऐसी चिकित्सा जांच आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पता तो उसे नियुक्त नहीं किया जाएगा। केवल ऐसे उम्मीद्वारों की नियुक्ति पर ही विचार किया जाएगा जो शारीरिक रूप से स्वथ्य पाए जाएंगे।

19. परीक्षा में सफल होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं माना जाएगा जब तक कि परिषद ऐसी जांच पड़ताल से संतुष्ट नहीं हो जाता कि उम्मीद्वार का चरित्र और पूर्ववृत्त पद पर नियुक्ति के लिए सभी तरह से उपयुक्त है।

20. सेवाओं/पदों का संक्षिप्त विवरण, जिस पर परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जा रही है, परिशिष्ट-II में दिया गया है।

सीधी भर्ती के आधार पर सहायक निदेशक (राजभाषा) के रूप में भर्ती व्यक्तियों को 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है।

परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर भाकृअप परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति के लिए पुष्टि कर सकता है, यदि उसका कार्य अथवा आचरण भाकृअप की राय में संतोषजनक पाया जाता है। यदि उसका कार्य या आचरण भाकृअप की राय में असंतोषजनक पाया जाता है तो उसे या तो सेवा-मुक्त किया जा सकता है अथवा उसकी परिवीक्षा की अवधि को उस समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है जिसे भाकृअप आवश्यक समझाता है।

****

भाकृअप में सीधी भर्ती कोटा के तहत
सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद के लिए परीक्षा

परीक्षा प्रकार	एकल समग्र वस्तुनिष्ठ-सह-वर्णनात्मक प्रकार की परीक्षा
अधिकतम अंक	200
समय	3 घंटे

अनुभाग / विषय	प्रश्न की संख्या	अधिकतम अंक
खंड क		
(i)हिंदी में निबंध	दिए गए विषयों में से एक विषय का चयन करना है	50
खंड ख		
(i) सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	15 प्रश्न x 2 अंक प्रत्येक	30
(ii) सामान्य ज्ञान (वर्णनात्मक प्रकार)	4 प्रश्न x 5 अंक प्रत्येक	20
खंड ग		
(i) (क) अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद लगभग 300 शब्दों का एक पैराग्राफ।	एक	25
(ख) लगभग 300 शब्दों का एक पैराग्राफ हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद।	एक	25
(ii) भारत सरकार की राजभाषा नीति के संवैधानिक प्रावधानों और इसके कार्यान्वयन से संबंधित प्रश्न। (वर्णनात्मक प्रकार)	10 प्रश्न x 5 अंक प्रत्येक	50
	कुल अंक	200

1 साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए कुल मिलाकर न्यूनतम अर्हक अंक ASRB द्वारा अपने विवेक पर निर्धारित किए जाएंगे।

2. इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार/बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों के संबंध में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

3. साक्षात्कार कुल 30 अंकों का होगा।

4. अंतिम चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में समग्र प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

5. लिखित परीक्षा के उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उनकी योग्यता के आधार पर प्रत्येक रिक्ति (श्रेणी-वार) के लिए 3 उम्मीदवारों के अनुपात में संरचित साक्षात्कार के लिए योग्य होंगे।

विस्तृत पाठ्यक्रम

खंड	विस्तृत पाठ्यक्रम
खंड क	
(i) निबंध (हिंदी में)	उम्मीदवारों की सही हिंदी समझने की क्षमता, उनकी बुनियादी समझ और लेखन क्षमता आदि की परीक्षा ली जाएगी।
खंड ख	
(i) सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	इस श्रेणी के प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवारों का अपने आस-पास के वातावरण का ज्ञान और समाज में इसके प्रयोग की परीक्षा करना होगा। प्रश्नों को समसामयिक घटनाओं, और उनके वैज्ञानिक पहलुओं में हर दिन अवलोकन और अनुभव के ऐसे मामलों, जैसा कि एक शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है, की परीक्षा के लिए भी डिजाइन किया जाएगा। परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देश विशेष रूप से इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य नीति और वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये प्रश्न ऐसे होंगे कि उन्हें किसी भी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी।
(ii) सामान्य ज्ञान (वर्णनात्मक प्रकार)	इस प्रश्न-पत्र के प्रश्नों में सामान्य जागरूकता के साथ-साथ सामान्य बुद्धि और तर्कक्षमता शामिल होगी। <u>सामान्य बुद्धि और तर्क क्षमता:</u> इसमें मौखिक और गैर-मौखिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस श्रेणी में सदृश्यता, समानता, अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेने, दृष्टिमान स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, संबंध अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्क, मौखिक और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला गैर-मौखिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, कथन, निष्कर्ष, न्यायशास्त्रीय तर्क आदि पर प्रश्न शामिल होंगे। <u>सामान्य जागरूकता:</u> इस श्रेणी के प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवारों का अपने आस-पास के वातावरण का ज्ञान और समाज में इसके प्रयोग की परीक्षा सामान्य जागरूकता की परीक्षा लेना होगा; प्रश्नों को वर्तमान घटनाओं और उनके वैज्ञानिक पहलुओं में हर दिन अवलोकन अनुभव के ऐसे मामलों की परीक्षा जैसा कि एक शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों, विशेष रूप से इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य नीति और वैज्ञानिक

	अनुसंधान आदि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये प्रश्न ऐसे होंगे कि उन्हें किसी भी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी।
खंड ग	
(i) (ए) लगभग 300 शब्दों के एक पैराग्राफ का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। (बी) लगभग 300 शब्दों के एक पैराग्राफ का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद।	प्रश्नों को विशेष रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्र से सामग्री के उपयुक्त अनुवाद की क्षमता की परीक्षा लेने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। इस भाग में उम्मीदवार की अंग्रेजी से हिंदी और इसके विपरीत अनुवाद क्षमता शामिल होगी जो सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद के लिए एक शर्त है।
(ii) भारत सरकार की राजभाषा नीति के संवैधानिक प्रावधानों और इसके कार्यान्वयन से संबंधित प्रश्न। (वर्णनात्मक प्रकार)	उम्मीदवारों की समझ और कार्यान्वयन क्षमता का पता लगाना। इस भाग में भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों के संबंध में विभिन्न प्रश्न शामिल होंगे।

साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षा

साक्षात्कार के लिए अंक - 30 अंक

परीक्षा के लिखित भाग को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षा के लिए आवंटित अंक 30 हैं।

टिप्पण

1. एएसआरबी के पास श्रेणी-वार रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न-पत्र/साक्षात्कार में विभिन्न न्यूनतम योग्यता मानकों को निर्धारित करने का विवेकाधिकार है। एएसआरबी उक्त पद के लिए सूचना/विज्ञापन के समय न्यूनतम योग्यता मानकों को अधिसूचित कर सकता है।
2. सभी प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में मुद्रित किए जाएंगे, जिसके लिए उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा के लिए अपना आवेदन पत्र भरते समय माध्यम का चुनाव किया जाएगा। हालाँकि, एक बार चुनी गई भाषा का चुनाव अंतिम और बाध्यकारी होगा और उम्मीदवार इसे बाद में किसी भी परिस्थिति में नहीं बदल सकता है। उम्मीदवार कई भाषाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं जैसे कि एक भाषा में कुछ प्रश्नों का उत्तर देना और अन्य को अलग-अलग भाषा में क्योंकि माध्यम को उनके द्वारा केवल एक ही चुना जाना है और किसी अन्य माध्यम में किए गए प्रश्नों को मूल्यांकन के लिए अयोग्य माना जाएगा।

3. परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जाएगी अर्थात् सामान्य के साथ-साथ अन्य सभी आरक्षित श्रेणियों (अर्थात अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूबीडी) के संबंध में 200 अंकों में से योग्यता सूची तैयार की जाएगी।

4. शीर्ष क्रम के उम्मीदवारों को एएसआरबी में अपने स्वयं के खर्च पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार यात्रा शुल्क दिया जाएगा।

5. लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार की जाएगी। शीर्ष क्रम के उम्मीदवारों को नियुक्ति की पेशकश की जाएगी और उन्हें पूर्व-नियुक्ति औपचारिकताओं को पूरा करने के अध्यधीन आईसीएआर सेवाओं में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है।

****

जिस सेवा/पदों पर परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जा रही है, उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राजभाषा सेवाओं में वर्तमान में चार ग्रेड हैं और अखिल भारतीय सेवा का दायित्व है :-

(i) सहायक निदेशक (राजभाषा)	:	स्तर- 10 (56100-177500 रुपये) (पूर्व-संशोधित पीबी-3, रु.15600-39100, जीपी रु.5400 के साथ)
(ii) उप निदेशक (राजभाषा)	:	स्तर- 11 (रु. 67700-208700) (पूर्व-संशोधित पीबी-3, रु.15600-39100, जीपी रु.6600 के साथ)
(iii) संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	:	स्तर- 12 (रु. 78800-209200) (पूर्व-संशोधित पीबी-3, रु.15600-39100, जीपी रु.7600 के साथ)
(iv) निदेशक (राजभाषा)	:	स्तर- 13 (रु. 123100-215900) (पूर्व-संशोधित पीबी-4, रु.37400-67000, जीपी रु.8700 के साथ)

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 में पांच वर्ष की नियमित सेवा करने वाला संयुक्त निदेशक (राजभाषा), निदेशक (राजभाषा) के पद पर पदोन्नति पर विचार करने के लिए पात्र है। वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 में पांच साल की नियमित सेवा वाला उप निदेशक (राजभाषा), संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के पद पर पदोन्नति पर विचार करने के लिए पात्र है। वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में पांच साल की नियमित सेवा वाला सहायक निदेशक (राजभाषा), उप निदेशक (राजभाषा) के पद पर पदोन्नति पर विचार करने के लिए पात्र है।

सीधी भर्ती के आधार पर सहायक निदेशक (राजभाषा) के रूप में भर्ती किए गए व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है।

परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में पुष्टि कर सकता है, यदि उसका कार्य या आचरण, आईसीएआर की राय में, संतोषजनक पाया गया है। यदि उसका काम और आचरण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राय में असंतोषजनक पाया जाता है, तो उसे या तो सेवाओं से छुट्टी दे दी जा सकती है या उसकी परिवीक्षा की अवधि को आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आवश्यक समझे।

****

एससी / एसटी उम्मीदवार के लिए प्रोफार्मा

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है, उसे अपने दावे के समर्थन में जिला अधिकारी या उप-मंडल अधिकारी या जिले के किसी ऐसे अन्य अधिकारी से जिन्हें संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनूप्रमाणित / सत्यापित प्रति नीचे दिए गए फॉर्म में जमा करनी चाहिए जिस जिले में उसके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्य रूप से निवास करते हैं। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें उम्मीदवार स्वयं अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अलावा सामान्य रूप से रहता है। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाण पत्र का एक अभिन्न अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा, न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रति।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*..
पुत्र/पुत्री* ....निवासी ग्राम/कस्बा*............................
.... जिला/मंडल........................... राज्य/संघ राज्य................................
क्षेत्र.................. ....के अंतर्गत आता है........... जाति/जनजाति* जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है:-

@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
@संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
@संविधान (अनुसूचित जाति) केंद्र शासित प्रदेश आदेश, 1951
@संविधान (अनुसूचित जनजाति) केंद्र शासित प्रदेश आदेश,1951

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956; बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 और गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 यथा संशोधित]

@संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
@संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित
@संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

@संविधान (दादर एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
@संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
@संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
@संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
@संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
@संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
@संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
@संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
@संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
@संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
@संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991
@संविधान (एसटी) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991
@अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002
@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002
@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

% 2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे राज्य में प्रवास कर चुके हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी...के माता/पिता श्री/श्रीमती* ....निवासी ग्राम/कस्बा................................. जिला/संभाग..राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.................................... को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो.. जाति/जनजाति से संबंधित है जो ....दिनांक...........................द्वारा जारी... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी.. और/या उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा...................................जिला/संभाग...................................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....................................में रहता है।

हस्ताक्षर...

**पद.......................................

(कार्यालय की मुहर के साथ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*

स्थानः.....................................
दिनांकः....................................

* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं होते हैं।
@कृपया राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश को उद्दत करें।
% उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू नहीं है।

नोट: यहां प्रयुक्त शब्द "आम तौर पर निवास करता है" का अर्थ वही होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया गया है।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त अधिकारियों की सूची।

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट /कलक्टर/उपायुक्त /अपर डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलक्टर/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर।
(पहली श्रेणी के वैतानिक मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे नहीं)।
(ii) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर चीफ प्रेसीडेंसीमजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हों।
(iv) उस क्षेत्र का सबडिवीजनल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
(v) प्रशासक / सचिव, प्रशासक/ उप विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

भारत सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण-पत्र फार्म

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती / कुमारी ________पुत्र/पुत्री ____________________ गांव/नगर का ____________________ जिला/मंडल में ____________________राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में ____________________उस ____________ ____________________समुदाय से संबंधित है जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय मंत्रालय और के तहत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है अधिकारिता का संकल्प नं. ________ दिनांक

____________* .श्री/श्रीमती/कुमारी ____________________और/ वह परिवार आमतौर पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जिले/मंडल में रहता है____________________यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 8.9.1993, का.ज्ञा.सं.36033/3/2004-स्था.(आरईएस) दिनांक 09 मार्च 2004, का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्थापना (आरईएस) दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 और का.ज्ञा.सं. 36033/1/2013-स्था. (आरईएस) दिनांक 27 मई, 2013 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (संपन्न वर्ग) से संबंधित नहीं है** ।

हस्ताक्षर____________

पद__________

दिनांक :

मुहर

---

*-

प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करे, जिसमें उम्मीदवार की जाति को ओबीसी के रूप में वर्णित किया गया है।

**- समय-समय पर यथा संशोधित।

$-

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र जारी करने वाले सशक्त अधिकृत प्राधिकरणों की सूची वही होगी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सशक्त होगी।

नोट: - "सामान्य रूप से" यहां प्रयुक्त शब्द का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया गया है।

फार्म-I

विकलांगता प्रमाणपत्र

(अंगों के विच्छेदन या पूर्ण स्थायी पक्षाघात और अंधेपन के मामलों में)

[देखे नियम 18(1)]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा अधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांगजन का (केवल चेहरा दिखाने वाला) ए आकार का सत्यापित हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो

प्रमाण पत्र संख्याः.................. दिनांकः...............

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी की सावधानीपूर्वक जांच की है

.... पुत्र/ पत्नी/पुत्री श्री .... जन्म तिथि .... (दिन/माह/ वर्ष) आयु .... वर्ष,पुरुष/महिला .... पंजीकरण संख्या .... स्थायी निवासी मकान संख्या .... वार्ड/गांव/गली .... डाकघर .... जिला .... _ .... जिसका फोटो ऊपर चिपका है, और संतुष्ट हूं कि:

(ए) वह / वह :

- चलन अक्षमता
- बौनापन
- अंधापन

(कृपया टिक करें जो लागू हो)

(बी) इसका / उनके मामले में निदान ....

(ए) उन्हें .... % (आंकड़े में) .... प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी चलन अक्षमता/बौनापन/उसके संबंध में अंधापन

.... (शरीर का अंग) है। दिशानिर्देशों के अनुसार (............................संख्या और दिशा-निर्देश जारी करने की तारीख निर्दिष्ट की जानी चाहिए)।

2. आवेदक ने निवास स्थान के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए:-

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा अधिकारी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर और मुहर)

उस व्यक्ति का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशन जिसे दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

फार्म-II

विकलांगता प्रमाण- पत्र

(बहु-विकलांगताएं होने पर)

[नियम 18(1) देखें]

(यह प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा अधिकारी का नाम व पता)

विकलांग व्यक्ति का हाल ही में लिया गया पास पोर्ट आकार का सत्यापित फोटोग्राफ (सिर्फ चैहरे वाला)

प्रमाण पत्र सं .... दिनांक..............................:

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कु ....;..............................

सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री श्री ....जन्म तिथि ....

दिन/माह/ वर्ष ....आयु...............................वर्ष..

पुरूष/महिला..पंजीकरण सं. ....स्थायी आवास का पता-

मकान संख्या ....वार्ड/ग्राम/गली ....

डाक घर ....जिला.......................................राज्य.............................

जिनकी ऊपर फोटो लगी है, की सावधानीपूर्वक जांच की और मैं संतुष्ट हूॅ कि उपर्युक्त व्यक्ति के .... की विकलांगता है। कि उनकी शारीरिक क्षति / विकलांगता की सीमा का मूल्यांकन दिशा-निर्देशों के अनसार ....दिशा-निर्देशों का उल्लेख करें) किया गया है और उसे नीचे दी गई सारणी में संबंधित विकलागंता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	विकलांगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक विकलांगता (%में)
1.	लोकोमोटर विकलांगता	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3.	लेप्रोसी क्योर्ड			
4.	बौनापन (डॉर्फिस्म)			
5.	सेरेब्रल पाल्सी			
6.	तेज़ाब हमले का शिकार			
7.	लोविज़न (कम दृष्टि)	#		
8.	अंधापन	#		
9.	बहरापन (डेफ)	£		
10.	कम सुनाई देना (हार्ड ऑफ हियरिंग)	£		
11.	वाक एवं भाषा विकलांगता (स्पीच एंड लैंग्वेज डिसएबिलिटी)			
12.	बौद्धिक विकलांगता (इंटलेक्चुअल डिसएबिलिटी)			
13.	सीखने की विशिष्ट विकलांगता			
14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर			
15.	मेंटल इलनेस (मानसिक बीमारी)			
16.	क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन्स			
17.	मल्टीपल स्कलेरॉसिस			
18.	पार्किसन्स डिज़ीज़			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थैलिसीमिया			
21.	सिकिल सेल डिज़ीज़			

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए दिशा-निर्देशों (.....................................दिशा-निर्देश की संख्या और जारी करने की तारीख का उल्लेख किया जाए) के अनुसार समग्र रूप से उनकी स्थायी शारीरिक क्षति (इम्पेयरमेंट) निम्नवत् है:-

संख्या में:- .... प्रतिशत

शब्दों में:- .... प्रतिशत

2. यह स्थिति बढ़ने वाली (प्रॉग्रेसिव) है/ न बढ़ने वाली (नॉन-प्रॉग्रेसिव) है/ सुधरने वाली है (लाइकली टु इंप्रूव)/ नहीं सुधरने वाली है (नॉट लाइकली टु इंप्रूव)।

3. विकलांगता का पुन: मूल्यांकन:

(i) मूल्यांकन आवश्यक नहीं है,

अथवा

(ii) .... वर्ष .... महीने के बाद मूल्यांकन के लिए अनुशंसा की जाती है और इसलिए यह प्रमाण-पत्र दिनांक.......................... दिन/माह/वर्ष तक वैध रहेगा।

@ अर्थात् बायां/दाहिना/दोनों भुजाएं/पैर

अर्थात् एक आंख

£ अर्थात् बायां/दाहिना/दोनों कान

4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नांकित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी होने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

सदस्य का नाम और मोहर	सदस्य का नाम और मोहर	सदस्य का नाम और मोहर

उस व्यक्ति का हस्ताक्षर/ अंगूठे की छाप जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है।

फार्म-III

विकलांगता प्रमाण-पत्र

(फार्म-I और II में जिनका उल्लेख किया गया है, उनसे इतर मामलों के लिए)
(यह प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा अधिकारी का नाम व पता)
[नियम 18 (1) देखें]

विकलांग व्यक्ति का हाल ही में लिया गया पास पोर्ट आकार का सत्यापित फोटोग्राफ (सिर्फ चेहरे वाला)

प्रमाण पत्र सं...............................   दिनांक:..............................

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती/ कु.............................. सुपुत्र/ पत्नी/ सुपुत्री श्री...........................जन्म तिथि...........................दिन/ माह/ वर्ष.................आयु.............. वर्ष.................. पुरूष/महिला.................... पंजीकरण सं. .... स्थायी आवास का पता- मकान संख्या ....वार्ड/ग्राम/गली.. डाक घर ....जिला ....राज्य...................... जिनकी ऊपर फोटो लगी है, की सावधानीपूर्वक जांच की और मैं संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त व्यक्ति के....................................की विकलांगता है। उनकी शारीरिक क्षति/विकलांगता की सीमा का मूल्यांकन दिशा-निर्देशों के अनुसार (................................दिशा-निर्देशों का उल्लेख करें) किया गया है और उसे नीचे दी गई सारणी में संबंधित विकलांगता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	विकलांगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक विकलांगता (% में)
1.	लोकोमोटर विकलांगता	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3.	लेप्रोसी क्योर्ड			
4.	सेरेब्रल पाल्सी			
5.	तेज़ाब हमले का शिकार			
6.	लोविज़न (कम दृष्टि)	#		
7.	बहरापन (डेफ)	€		
8.	कम सुनाई देना (हार्ड ऑफ हियरिंग)	€		
9.	वाक एवं भाषा विकलांगता (स्पीच एंड लैंग्वेज डिसएबिलिटी)			
10.	बौद्धिक विकलांगता (इंटलेक्चुअल डिसएबिलिटी)			
11.	सीखने की विशिष्ट विकलांगता			
12.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर			
13.	मेंटल इलनेस (मानसिक बीमारी)			
14.	क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन्स			
15.	मल्टीपल स्कलेरॉसिस			
16.	पार्किंसन्स डिज़ीज़			
17.	हीमोफीलिया			
18.	थैलिसीमिया			
19.	सिकिल सेल डिज़ीज़			

(जो विकलांगताएं लागू नहीं हैं, उन्हें काट दीजिए)

2. यह स्थिति बढ़ने वाली (प्रॉग्रेसिव) है/ न बढ़ने वाली (नॉन-प्रॉग्रेसिव) है/ सुधरने वाली है (लाइकली टु इंप्रूव)/ नहीं सुधरने वाली है (नॉट लाइकली टु इंप्रूव)।

3. विकलांगता का पुन: मूल्यांकन:

(i) मूल्यांकन आवश्यक नहीं है,

अथवा

(ii) .... वर्ष .... महीने के बाद मूल्यांकन के लिए अनुशंसा की जाती है और इसलिए यह प्रमाण-पत्र दिनांक............................ दिन/माह/वर्ष तक वैध रहेगा।

@ अर्थात् बायां/दाहिना/दोनों भुजाएं/पैर

\#   अर्थात् एक आँख/दोनों आँखें

€   अर्थात् बायां/दाहिना/दोनों कान

4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नांकित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी होने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा अधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम और मोहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

(यदि प्रमाण-पत्र किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी ने जारी किया है, जो एक सरकारी कर्मचारी (मोहर सहित) नहीं है तो सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक/ प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर एवं मोहर)

उस व्यक्ति का हस्ताक्षर/ अंगूठे की छाप जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है।

ध्यान दीजिए: यदि यह प्रमाण-पत्र किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी ने जारी किया है, जो एक सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह तभी वैध होगा, जब इस पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्रतिहस्ताक्षर किए हैं।

.....................................सरकार

(यह प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम व पता)

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा देय आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या...................... दिनांक.....................

वर्ष... के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु... पुत्र/पुत्री/पत्नी.. जिनका फोटोग्राफ यहां नीचे सत्यापित किया गया है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वित्त वर्ष के दौरान उनके परिवार** की सकल वार्षिक आय* रू 8 लाख (आठ लाख रूपए मात्र) से कम है।

उनके परिवार के स्वामित्व या कब्जे में निम्नांकित परिसम्पत्तियों में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है।

I. 05 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
III. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखण्ड (प्लॉट);
IV. अधिसूचित नगर पालिकाओं से इतर वाले इलाकों में 200 वर्ग गज़ और उससे अधिक आवासीय भूखण्ड

2. श्री/श्रीमती/कुमारी...जाति का नाम................................के अंतर्गत हैं, जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है (केन्द्रीय सूची)।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.................................

नाम ....

पदनाम..

आवेदक का हाल ही में लिया गया पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटोग्राफ

****नोट 1:** आय में सभी स्रोत जैसे-वेतन, कृषि, कारोबार, पेशा आदि शामिल हैं।

"**नोट 2:** इस प्रयोजन के लिए **"परिवार"** शब्द में ऐसा व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उसके मात-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के सहोदर (भाई-बहन) तथा उसके पति-पत्नी और बच्चे भी 18 वर्ष से कम के हों।

"**नोट 3:** **"परिवार"** की अलग-अलग स्थानों की अलग-अलग जगहों/नगरों में स्थित सम्पत्तियों को भूमि या सम्पत्ति होल्डिंग का टेस्ट करने के लिए मिला लिया गया है ताकि आर्थिक रूप से पिछड़ा (ईडब्ल्यूएस) वर्ग का पता लगाया जा सके।

****